विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय

रामसिंह रोड़ जयपुर, दूरभाष : 2373628, फैक्स : 2371918
Email ID-maharanicollegejaipur@gmail.com

क्रमांक : विविमम / लेखा. / 2026 / 850 — दिनांक : 10-08-26

निविदा आमंत्रण पत्र

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय के समस्त परिसर व छात्रावासों मे 15 अगस्त 2026 से 14 सितम्बर 2026 (एक माह) के लिए सफाई व्यवस्था के साथ–साथ कचरा उठाने के लिए एजेन्सी की सेवाएँ लेने हेतु ऑफलाइन सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक फर्म / कम्पनी / निविदादाता अपनी निविदाऐं निम्न विवरणानुसार प्राचार्या, महारानी महाविद्यालय कार्यालय मे जमा करा सकते है।

क्र.स.	विवरण	विशेष विवरण	राशि प्रतिमाह (सभी कर सहित)
1.	महाविद्यालय परिसर व छात्रावासों की सफाई व्यवस्था	महाविद्यालय के समस्त परिसर व छात्रावासों की सफाई करवाने व सफाई कार्य मे प्रयोग मे आने वाली समस्त सामग्री सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने का कार्य	

उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत 99,500 / –है। (जी.एस.टी. सहित)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथिः– 13.08.2026 समयः– 01.00 बजें तक

बोलियां खोलने की तिथि व समयः– 13.08.2026 समयः– 02.00 बजें

स्थान :– प्राचार्या, महारानी महाविद्यालय कार्यालय

प्राचार्या
महारानी महाविद्यालय,
जयपुर

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय

रामसिंह रोड़ जयपुर दूरभाष : 2373028, फैक्स : 2371918

Email ID-maharanicollegejaipur@gmail.com

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

1. विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय के समस्त परिसर (कमरों/ लेट बाथरूम/गार्डनो/पार्किंग एरिया/पोर्च/छत व समस्त छात्रावासों की सफाई व सफाई कार्य मे प्रयोग मे आने वाली समस्त सामग्री (झाडू/पोचा/फिनाईल/बाल्टी/कपडा व अन्य सामग्रीया) सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने के कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जा रही है।
2. निविदा सूचना एवं वि.वि की अधिकृत वैबसाइट क्रमशः www.uniraj.ac.in, राजस्थान विश्वविद्यालय पर प्रकाशित कर दी गई है।
3. निविदादाता से अपेक्षा है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण नियम का शर्ते का भली-भांति अध्ययन कर ले तथा महाविद्यालय के समस्त परिसर एवं छात्रावासों, इत्यादि सम्पूर्ण जगहों को निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक प्राचार्या महारानी महाविद्यालय कार्यालय समय से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि महाविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
4. निविदादाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों के साथ पर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में जमा करवायें। तथा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेंगा।
5. महाविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को उपापन समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदादाओ की वित्तीय निविदाये संबंधित फर्मो के उपस्थिति प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। इस हेतु दिनांक, समय एवं स्थान के लिये निविदादाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।
6. शेष शर्ते नियम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के अनुसार स्वतः ही मान्य होंगे। संबंधित कार्य हेतु औजार तथा ट्रेक्टर ट्रोली अपने स्वंय के खर्चे पर लाने होगें। इसके लिये कोई शुल्क अलग से देय नही होगा।
7. सफाई के दौरान एकत्रित कचरा (गीला एवं सूखा), टहनियॉ व घासफूस/झाडियॉ निर्देशानुसार स्थानों पर एकत्रित कर बाहर ले जानी होगी।
8. प्राचार्या महारानी महाविद्यालय को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नही किया जायेगा।
9. ठेका 15 अगस्त 2026 से 14 सितम्बर 2026(एक माह) के लिये दिया जायेगा यदि उक्त अवधि में वृद्दि/कमी की जानी होगी तो सक्षम स्तर पर स्वीकृति एवं आपसी सहमति के पश्चात् ही निर्णय लिया जावेगा।
10. श्रमिकों के सम्भावित दुर्घटना एवं किसी भी हानि के लिये ठेकेदार/फर्म स्वंय उत्तरदायी होगें।
11. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तो के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नही की जायेगी।
12. निविदादाता को किसी प्रकारा का अग्रिम भुगतान देय नही होगा।
13. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन के निर्णय अनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से बिल की 10 प्रतिशत तक जुर्माना राशि कटौती की जा सकेगी फर्म के कार्य से महाविद्यालय प्रशासन के संतुष्ट न होने की स्थिति में बकाया बिलो की राशि तथा सवेदक का कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है। सवेदक के द्वारा नियुक्त समस्त श्रमिको को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय

रामसिंह रोड़ जयपुर, दूरभाष : 2373628, फैक्स : 2371918

Email ID-maharanicollegejaipur@gmail.com

14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा तथा बाल श्रमिक कानूनों की पालना संवेदक को करना अनिवार्य है।
15. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
16. समस्त दरें निर्धारित प्रफोर्मा (वित्त बिड) में अंकित करनी होगी।
17. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

क्रम संख्या 1 से 16 तक से सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदाकार

पता...

....

मे./दूरभाष नं.....................